

द्वारा फैक्स/ईमेल
लखनऊ।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

कार्यालय अपर पुलिस महानिदेशक, लॉजिस्टिक्स

पुलिस मुख्यालय(सिग्नेचर बिलिंग) पंचम तल, टावर-1 गोमतीनगर विस्तार फेज-2 लखनऊ।

फैक्स नम्बर-0522-2724030 फोन-0522-2724027 ईमेल-logistics-polhq.lu@up.gov.in

संख्या: लॉजि०-मु०आ०मा०प०(पदोन्नति)-18 / 2019

दिनांक: जून २१, 2021

सेवामें,

- 1—अपर पुलिस महानिदेशक,
डॉ भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी, मुरादाबाद।
- 2—अपर पुलिस महानिदेशक,
पीटीसी, सीतापुर।
- 3—पुलिस आयुक्त, जनपद—लखनऊ / कानपुर नगर / वाराणसी।
4. पुलिस उपमहानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
जनपद—अयोध्या / प्रयागराज / बरेली / गोरखपुर / मेरठ / अलीगढ़ / आगरा।

विषय:-

उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा नियमावली-2016 के अनुसार मुख्य आरक्षी घुड़सवार पुलिस के रिक्त पदों को पदोन्नति द्वारा भरे जाने हेतु बोर्ड प्रपत्र-27 (कालम-53) में सूचना अद्यावधिक चरित्र पंजिका व विभागीय कार्यवाही/आपराधिक प्रकरणों से सम्बन्धित सी०बी०सी०आई०डी०/ ए०सी०ओ०/ इ०ओ०डब्लू०/ सतर्कता अधिष्ठान आदि का अद्यावधिक विवरण व स्व० घोषणा पत्र उपलब्ध कराये जाने विषयक।

कृपया अवगत कराना है कि अधिसूचना संख्या-808/छ:-पु-2-2016-1100(20)2015, दिनांक: 16.03.2016 द्वारा उत्तर प्रदेश घुड़सवार पुलिस सेवा नियमावली-2016 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत मुख्य आरक्षी घुड़सवार पुलिस के भर्ती/चयन वर्ष—01.07.2020 से 30.06.2021 तक के रिक्त पद पर ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुये पदोन्नति द्वारा भरे जाने हेतु अपर पुलिस महानिदेशक/सदस्य, उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के अपेक्षानुसार पात्र कर्मियों की बोर्ड प्रपत्र-27 (कालम-53) में सूचना अद्यावधिक ए०सी०ओ०/ इ०ओ०डब्लू०/ सतर्कता अधिष्ठान आदि का अद्यावधिक विवरण व स्व० घोषणा पत्र उपलब्ध कराया जाना है।

2— प्रश्नगत प्रकरण में आरक्षी घुड़सवार पुलिस की अनन्तिम वरिष्ठता सूची संलग्न है, उक्त सूची को सभी आरक्षी घुड़सवार पुलिस को प्रसारित करा दिया जाय तथा यदि किसी कर्मी को वरिष्ठता के संबंध में कोई आपत्ति हो तो उनकी आपत्तियां दिनांक: 30.06.2021 तक प्रत्येक दशा में लॉजिस्टिक्स कार्यालय को उपलब्ध करा दिया जाय, ताकि आपत्तियों का निवारण कर अंतिम वरिष्ठता सूची प्रकाशित की जा सके।

3— प्रोन्नति के लिए अह कर्मियों के वर्ष—2010 से 2019 तक के सेवाअभिलेखों की प्रविष्टियां प्रपत्र-27 (कालम-53) में अंकित किया जायेगा तथा सेवा अवधि की गणना हेतु कट ऑफ डेट 01.07.2020 होगी। उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा प्राप्त बोर्ड प्रपत्र-27 (कालम-53) को भरे जाने के संबंध में भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के दिशा निर्देश की प्रति संलग्न है। प्रपत्र-27 (कालम-53) में सूचना A-3 पेज पर LandScape में माईकोसाफ्ट एक्सेल में Kruti Dev 010 Fonts में तैयार की जाय। बोर्ड प्रपत्र पर संबंधित लिपिक, प्रधान लिपिक, सीओ आफिस व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/प्रभारी जनपद के हस्ताक्षर व नाम/पदनाम की मोहर अवश्य लगी होनी चाहिये।

(2)

3— अतः आरक्षी घुड़सवार पुलिस की संलग्न अनन्तिम वरिष्ठता सूची के क्रमांक—1 से 10 तक के आरक्षी घुड़सवार पुलिस के बोर्ड प्रपत्र—27 (कालम—53) में सूचना व सी०बी०आई०डी० अद्यावधिक चरित्र पंजिका व विभागीय कार्यवाही/आपराधिक प्रकरणों से सम्बन्धित सी०बी०सी०आई०डी०/ए०सी०ओ०/ई०ओ०डब्लू/ सतर्कता अधिष्ठान आदि का अद्यावधिक विवरण व स्व० घोषणा पत्र विशेष वाहक के माध्यम से दिनाँक: 10.07.2020 तक प्रत्येक दशा में लॉजिस्टिक्स कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। उक्त पत्र आपके ई—मेल पर भी प्रेषित कर दिया जायेगा।

संलग्नक: यथोपरि।

Shyam b. M
(एस०क०शुक्ला)
पुलिस अधीक्षक, लॉजिस्टिक्स,
नि०—अपर पुलिस महानिदेशक, लॉजिस्टिक्स,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय, सी०बी०सी०आई०डी०/ए०सी०ओ०/ई०ओ०डब्लू/ सतर्कता अधिष्ठान उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस आशय से प्रेषित है, कि आरक्षी घुड़सवार पुलिस की संलग्न अनन्तिम वरिष्ठता सूची में अंकित कर्मियों के विरुद्ध आपकी इकाई में यदि जांच प्रचलित/लम्बित है, की सूचना अविलम्ब इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

बोर्ड प्रपत्र- भरने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश

महत्वपूर्ण :- "बोर्ड प्रपत्र-03" को सावधानीपूर्वक सेवा अभिलेखों के आधार पर भरा जाय।

प्रपत्र का कालम	भरने के सम्बन्ध में निर्देश
1	इस कालम में क्र0सं0 अंकित की जायेगी। क्र0सं0 आरोही क्रम में अंकित की जायेगी।
2	इस कालम में कर्मी से सम्बन्धित ज्येष्ठता सूची का क्रमांक अंकित किया जायेगा।
3	इस कालम में कर्मी से सम्बन्धित पात्रता सूची का क्रमांक अंकित किया जायेगा।
4	इस कालम में कर्मी का पी0एन0ओ0 अंकित किया जायेगा।
5	इस कालम में कर्मी का सेवा अभिलेखों के अनुसार नाम अंकित किया जायेगा।
6	इस कालम में कर्मी का सेवा अभिलेखों के अनुसार पिता का नाम अंकित किया जायेगा।
7	इस कालम में कैडर अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थः पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस।
8	इस कालम में कर्मी की नियुक्ति का जनपद/इकाई का नाम अंकित किया जायेगा।
9	इस कालम में कर्मी की नियुक्ति के जनपद/इकाई से सम्बन्धित परिक्षेत्र/अनुभाग का नाम अंकित किया जायेगा।
10	इस कालम में कर्मी के सेवा अभिलेखों के अनुसार जन्मतिथि अंकित की जायेगी।
11	इस कालम में कर्मी की भर्ती का दिनांक अंकित किया जायेगा।
12	<u>सेवा अवधि-</u> का आगणन करने हेतु भर्ती वर्ष की प्रथम जुलाई को अध्यर्थी की आरक्षी के पद पर मौलिक नियुक्ति की तिथि घटाने पर उस भर्ती वर्ष के लिये कुल सेवा अवधि निकाली जायेगी।
13	
14	
15	इन कालमों में क्रमशः भर्ती/रिक्ति का वर्ष, इसके पूर्ववर्ती 10 वर्षों के वार्षिक गोपनीय मंतव्यों की अवधि एवं वार्षिक गोपनीय मंतव्य की श्रेणी अंकित की जायेगी।
16	
17	
18	उदाहरणार्थः यदि किसी कर्मी का वर्ष 2001 का वार्षिक गोपनीय मंतव्य अलग-अलग अवधि के लिए दो अधिकारियों द्वारा अंकित किया गया है तो उसका विवरण निम्नवत अंकित किया जायेगा:- 2001- 01-01-2001 से 30-04-2001 अति उत्तम 01-05-2001 से 31-12-2001 अच्छा
19	इस कालम में यदि किसी कर्मी का किसी वर्ष का वार्षिक गोपनीय मंतव्य प्रतिकूल अंकित किया गया हो तो उसे कर्मी को संसूचित करने का दिनांक अंकित किया जायेगा।
20	इस कालम में कर्मी द्वारा प्रतिकूल प्रविष्टि के विरुद्ध प्रत्यावेदन/अपील देने का दिनांक अंकित किया जाय।
21	इस कालम में कर्मी के प्रतिकूल प्रविष्टि के विरुद्ध लम्बित प्रत्यावेदन/अपील की वर्तमान स्थिति अंकित की जायेगी। जैसे- लम्बित /अस्वीकृत /स्वीकृत
22	इस कालम में भर्ती वर्ष के पूर्ववर्ती 10 वर्षों की सत्यनिष्ठा की निम्नांकित श्रेणी अंकित की जायेगी:- प्रमाणित अथवा रोकी गई
23	इस कालम में यदि किसी कर्मी की सत्यनिष्ठा रोकी गई है तो उससे कर्मी को संसूचित करने का दिनांक अंकित किया जायेगा।
24	इस कालम में कर्मी द्वारा रोकी गई सत्यनिष्ठा के विरुद्ध प्रत्यावेदन/अपील देने का दिनांक अंकित किया जायेगा।
25	इस कालम में कर्मी के रोकी गई सत्यनिष्ठा के विरुद्ध लम्बित प्रत्यावेदन/अपील की वर्तमान स्थिति अंकित की जायेगी। जैसे- लम्बित /अस्वीकृत /स्वीकृत
26	इसमें दण्डादेश की संख्या अंकित की जायेगी।
27	इसमें दण्डादेश का दिनांक अंकित किया जायेगा।

28	इसमें घटना का दिनांक अंकित किया जायेगा ।
29	इसमें दण्डादेश कर्मी को संसूचित किये जाने का दिनांक अंकित किया जायेगा।
30	इसमें दण्ड की प्रकृति अंकित की जायेगी । जैसे- पदच्युत करना / सेवा से हटाना आदि ।
31	इसमें दण्डादेश के विरुद्ध प्रत्यावेदन/अपील प्रेषित करने का दिनांक अंकित किया जायेगा ।
32	इसमें दण्डादेश के विरुद्ध प्रत्यावेदन/अपील की वर्तमान स्थिति अंकित की जायेगी । जैसे- लम्बित /अस्वीकृत /स्वीकृत
33	इसमें दण्डादेश की संख्या अंकित की जायेगी ।
34	इसमें दण्डादेश का दिनांक अंकित किया जायेगा ।
35	इसमें घटना का दिनांक अंकित किया जायेगा ।
36	इसमें दण्डादेश कर्मी को संसूचित किये जाने का दिनांक अंकित किया जायेगा।
37	इसमें दण्ड की प्रकृति अंकित की जायेगी । जैसे- अर्थदण्ड, परिनिन्दा प्रविष्टि आदि ।
38	इसमें दण्डादेश के विरुद्ध प्रत्यावेदन/अपील प्रेषित करने का दिनांक अंकित किया जायेगा ।
39	इसमें दण्डादेश के विरुद्ध प्रत्यावेदन/अपील की वर्तमान स्थिति अंकित की जायेगी । जैसे- लम्बित /अस्वीकृत /स्वीकृत
40	इसमें निलम्बन का आदेश संख्या व दिनांक अंकित किया जायेगा । उदाहरणार्थः न-39/2012 दिनांक 30-10-2016
41	इसमें निलम्बन का कारण संक्षिप्त विवरण अधिकतम 20 शब्दों में अंकित किया जायेगा । उदाहरणार्थः अवकाश से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होने के सम्बन्ध में ।
42	इसमें कर्मी को बहाल किये जाने का आदेश संख्या व दिनांक अंकित किया जायेगा।
43	इसमें अपराध संख्या/धारा/थाना/जनपद अंकित किया जायेगा । उदाहरणार्थः 234/96, धारा 323/324 आदि, थाना-गाजीपुर, लखनऊ
44	इसमें आरोप पत्र संख्या व आरोप पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किये जाने का दिनांक अंकित किया जायेगा।
45	इसमें अभियोग की अद्यतन स्थिति व अभियोग में यदि मा० न्यायालय का कोई निर्णय हो तो निर्णय का संक्षिप्त विवरण व दिनांक अंकित किया जायेगा । उदाहरणार्थः वाद मा० न्यायालय एडीजे-5, लखनऊ के यहां एस0टी० नं०-399/98 पर विचाराधीन है, जिसमें अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 31-10-2016 नियत है ।
46	इसमें जाँच संगठन का नाम अंकित किया जायेगा । जैसे- विभागीय, सी०बी०सी०आई०डी० आदि ।
47	इसमें आरोप का संक्षिप्त विवरण अधिकतम 20 शब्दों में अंकित किया जायेगा । उदाहरणार्थः अवकाश से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के सम्बन्ध में ।
48	इसमें कर्मी को आरोप पत्र प्राप्त कराने का दिनांक अंकित किया जायेगा ।
49	विभागीय कार्यवाही की वर्तमान स्थिति -पूर्ण/लम्बित । पूर्ण है तो परिणाम व लम्बित है तो किस स्तर पर लम्बित है तथा लम्बित का कारण अंकित किया जाये ।
50	यदि अपील हुई है तो अपील का दिनांक अंकित करते हुए अपील का परिणाम भी अंकित किया जाये ।
51	इसमें कर्मी के चयन, प्रोन्नति या सेवा के सम्बन्ध में मा० न्यायालय या राज्य लोक सेवा अधिकरण के आदेश का संक्षिप्त विवरण अधिकतम 20 शब्दों में अंकित किया जायेगा । उदाहरणार्थः निलम्बन आदेश दिनांक 30-10-2016 अग्रिम आदेशों तक स्टे है ।
52	इसमें वाद संख्या एवं मा० न्यायालय के आदेश का दिनांक अंकित किया जायेगा । उदाहरणार्थः मा० उच्च न्यायालय लखनऊ बैच, रिट याचिका संख्या: 3570(एस/एस)/2013, दिनांक 14-12-2016

53	विभागीय चयन समिति द्वारा अंकित किया जायेगा।
54	विभागीय चयन समिति द्वारा अंकित किया जायेगा।

सामान्य निर्देश :-

- 1- प्रत्येक कालम को स्पष्ट रूप से भरा जायेगा यदि किसी कालम में कोई सूचना अंकित नहीं की जानी है तो उस कालम में स्पष्ट रूप से शून्य अंकित किया जाय।
- 2- उक्त सूचना A3 पेज पर Landscape में माइक्रोसाफ्ट एक्सेल में Kruti Dev 010 फान्ट में ही तैयार की जाय।
- 3- एक लाइन में एक ही अभ्यर्थी की सूचना अंकित की जाये। Lines/cells को merge न किया जाय।
- 4- एक ही cell में नई लाइन में लिखने हेतु Alt+Enter का प्रयोग किया जाय।
- 5- अपूर्ण प्रपत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

प्रारूप—“क”
स्वघोषणा—पत्र

मेरे	निवासी	(नाम / पदनाम	व	पीएनओ)	पुत्र
का नाम)	थाना	जनपद		वर्तमान में (जनपद / इकाई	
नियुक्त हूँ तथा घोषित करता हूँ कि:-					

(क) “मेरे विरुद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित नहीं है तथा कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही वर्तमान में निलम्बित हूँ।”

2— उपरोक्त घोषणा में यदि मेरे द्वारा कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरी पदोन्नति निरस्त कर मुझे मूल पद पर पदावनत करते हुये मेरे विरुद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

3— यह घोषणा—पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर

(नाम / पदनाम / पीएनओ सहित)
नियुक्त स्थान / दिनांक

यदि सम्बन्धित उपनिरीक्षक के विरुद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित है अथवा कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन है अथवा निलम्बित है तो उसका पूर्ण विवरण उसके द्वारा नीचे अंकित किया जायेगा:-

- (1) वर्तमान में निलम्बित है तो उसका निलम्बन आदेश / दिनांक तथा कारण —————
- (2) मेरे विरुद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत जनपद / इकाई में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनांक:— को आरोप—पत्र दिया गया है।
- (3) मेरे विरुद्ध मु0अ0र्ज0 धारा थाना जनपद एजेन्सी में लम्बित है, जिसमें दिनांक:— को स्थानीय पुलिस अथवा जॉच द्वारा आरोप—पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में स्तर पर चल रहा है।

हस्ताक्षर

(नाम / पदनाम / पीएनओ सहित)
नियुक्त स्थान / दिनांक

प्रमाणित

जनपद / इकाई के प्रभारी
नाम / पदनाम की मुहर

नोट—स्वघोषणा—पत्र में अंकित जो प्रस्तर अथवा उपप्रस्तर लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (X) दिया जाय।

